न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 57/2016

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. वचनाराम पुत्र पाता जाति रेबारी निवासी तिलोड़ा तहसील सायला जिला जालोर		1. सुकीदेवी पत्नी मानाराम 2. बगदाराम पुत्र केसा 3. निम्बाराम पुत्र केसा जातिगण रेबारी निवासीगण तिलोड़ा तहसील सायला जिला जालोर 4. भूमिधारी तहसीलदार सायला

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री सिकन्दर अली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री त्रिलोकचन्द मेहता, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 5/10/18

-----0-----

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 57/2012 सुकीदेवी बनाम वचना वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम तिलोडा के खसरा नम्बर 227 रकबा 5.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 230 रकबा 2.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 1.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 0.01 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 229 रकबा 0.16 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी भूमि है। जिसमें अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्सा निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने अपने जवाबदावे में स्पष्ट किया कि जैर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील विवादित आराजी मौके पर विभाजित है तथा पक्षकारा अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। पत्रावली कायमी तनकीयात में विचाराधीन थी। इस दौरान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किए लोक अदालत में जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। विधि अनुसार लोक अदालत में आपसी सहमति से ही प्रकरणों के निस्तारण के प्रावधान है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान् में किसी प्रकार की सहमति नहीं थी एवं न ही कोई राजीनामा आदि पेश किया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। हस्तगत निर्णय लोक अदालत के तहत पारित किया गया है, जिसकी अपील अनुज्ञेय नहीं है। जिस भूमि पर अपीलाण्ट ने स्वयं का कब्जा काश्त होना बताया है, विभाजन में वही भूमि उनके हिस्से में रखी गई है। जहां जिस पक्षकारा का कब्जा है, उसी के अनुसार हिस्से में जितनी भूमि आती है, तदनुसार विभाजन की डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि का विधिक विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद कायमी तनकीयात में विचाराधीन था एवं इस दौरान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत करने हेतु जो नोटिस जारी किए, वे अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स को संयुक्त रूप से जारी किए गए है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0डी0 1990 पेज 351 नाथू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित किया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है – " Separate notices should have been served on each trespasser-- Where request is made for actual measurement of land alleged to have been trespassed upon, land should be measured before drawing conclusion whether trespass has occurred or not" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण–रूपेण चस्पा होता है। इसके अतिरिक्त हस्तगत निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 57/2012 सुकीदेवी बनाम वचना वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर जांच कर कानूनी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5/10/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर